विचार बिन्दु

हमारे कष्ट पापों का प्रायश्चित है। –हज़रत मोहम्मद

सर्वोच्च न्यायालय पर इतना आक्रमण क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 2022 में जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं, वे निरंतर अपने विवादास्पद व्यवहार और बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। इससे पूर्व जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई प्रकार के विवादों में उलझे रहे। अपने बयानों के द्वारा वे राज्य सरकार के काम करने के तरीके पर कटाक्ष करते रहे और सार्वजनिक रूप से भी राज्य सरकार की बहुत आलोचना करते रहे। राज्यपालों से अपेक्षा यह की जाती है कि वे सवैंधानिक पद पर होने के कारण, अपनी राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर निष्पक्ष और संवैधानिक मर्यादा के अनुसार कार्य करेंगे। संभवतया, राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार के कामकाज में उन्होंने जिस प्रकार केंद्र के इशारे पर रोड़े अटकाए, उसी को देखते हुए, भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर अपना उम्मीदवार बनाया और बहुमत के आधार पर वे इस पद पर आसीन भी हो गए।

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। गत 3 वर्षों में, अनेक बार यह देखा गया है कि उन्होंने सभापति के रूप में पक्षपात पूर्ण कार्य करते हुए विपक्षी नेताओं को बार-बार टोका। एक बार तो उन्होंने अनेक सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता से निलंबित भी कर दिया। उनका पक्षपात पूर्ण व्यवहार, टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के माध्यम से पूरे देश ने कई बार देखा है। विपक्षी दलों ने तो एक बार उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, किंतु उपसभापति ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य करते हुए अपने पदों की गरिमा को तार-तार कर दिया।

हाल ही में उनका सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में दिया गया बयान तो सारी सीमाओं को पार कर गया। इसके कारण मीडिया में गत तीन चार दिन से उनकी आलोचना हो रही है। यह वक्तव्य उन्होंने राज्यसभा के प्रशिक्षु इन्टर्न के बैच को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कई प्रकार के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाते हुए कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर संसद की तरह मानती है"। वह संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग परमाणु मिसाइल की तरह करती है जिससे लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होने कहा कि न्यायाधीशों की कोई जवाब देही नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर न्यायाधीश वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिलने की बात का भी उल्लेख किया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज न करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। यह सही है कि न्यायाधीश वर्मा के बारे में हो रही जांच में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का साहस अवश्य दिखाया है। यह आशा की जा सकती है कि जस्टिस वर्मा के विरुद्ध संवैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई संभव है वह शीघ्र की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना हुई है। इससे कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। कानून बनाने का काम संसद का है न कि सर्वोच्च न्यायालय का।

इस प्रकार के बयान देते समय उपराष्ट्रपति यह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कानून बनाया नहीं, अपितु जब भी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान के विपरीत था तो उसे निरस्त करने का संवैधानिक दायित्व निभाया। ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही किया।

यह भी एक विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य उच्च सत्ताधारी नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उस समय प्रशंसा करते हुए नहीं थकते जब कोई निर्णय सरकार के पक्ष में हो जाता है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए न्याय की सराहना की।

उपराष्ट्रपति जब विधायिका के सम्मान की बात करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की होती तो विधानसभा में चुने हुए विधायकों द्वारा पारित कानून का क्या हश्र होता? तमिलनाडु विधानसभा के 10 विधेयक, पारित होने के बाद भी राज्यपाल के पास अनिश्चितकाल तक पड़े रहे और बाद में राष्ट्रपति के पास विचार हेतु भेज दिए गए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान हैं अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि "यह क्या हो रहा है और इसका क्या परिणाम होगा?" वास्तव में उन्होंने सही कहा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन यह बात उनके द्वारा किए गए व्यवहार के ऊपर अधिक सही लागू होती है न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए व्यवहार के ऊपर।

कल्पना कीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकरणों में दखल नहीं देता, तो क्या होता:–

इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया जाता।

चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह वहां के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने भाजपा के पक्ष में कार्य करते हुए अनैतिक रूप से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, उसे निरस्त नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के माध्यम से गरीबों के मकान गैर कानूनी रूप से बिना नोटिस के ध्वस्त करने के आदेशों पर यदि सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता।

यदि सुप्रीम कोर्ट समुचित आदेश नहीं देता तो यही लगता कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है।

उपरोक्त कुछ प्रकरणों से तो यही स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल संविधान सम्मत कार्य किया है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में से कौन बड़ा है, यह प्रश्न ही बेमानी है। न संसद बड़ी है न न्यायपालिका। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता नागरिकों की होती है और उसी को बनाए रखने के लिए संविधान बना है। अतः, सर्वोपरि तो संविधान ही है और शासन के सभी अंगों को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जब कभी नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों पर कार्यपालिका द्वारा प्रहार होता है तो, सामान्य नागरिक सदैव सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखता है।

वक़्फ़ संशोधन कानून पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के एक दिन पूर्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लगभग चेतावनी भरे शब्दों में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार कोर्ट के काम में दखल देना प्रारंभ करे, तो उसे कैसा लगेगा? यह परोक्ष रूप में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने जैसा ही वक्तव्य था।

वक्फ संशोधन कानून पर बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना द्वारा पूछे गए तीखे प्रश्नों का उत्तर सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए और उन्होंने एक सप्ताह का समय उत्तर देने हेतु मांगा। न्यायालय के इस रुख से सरकार में बड़ी खलबली मची हुई है। मजबूरन सरकार को यह आश्वासन कोर्ट को देना पड़ा कि वह वक्फ संशोधन कानून के बारे में कोई कार्यवाही आगामी तिथि तक नहीं करेगी।

उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाया। ऐसा कहते समय उपराष्ट्रपति को यह याद नहीं रहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है।

कार्यपालिका या विधायिका के किसी निर्णय की संवैधानिक समीक्षा करने का अधिकार, संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया है। इसे परमाणु मिसाइल बताकर और इसे लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला बताने से पूर्व उपराष्ट्रपति ने यह नहीं सोचा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए इस संशोधन को निरस्त कर दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए।

संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि संविधान के अनुसार किसी भी प्रकरण में 'पूर्ण न्याय' कर सके।

जब निर्णय सरकार की इच्छा अनुसार होता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती और सत्ताधारी दल के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा निष्पक्ष और न्याय प्रदान करने वाला बन जाता है। जब वही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सरकार की इच्छा के विपरीत देता है तो पूरी सरकार, उसका आई टी सेल, सत्ताधारी दल एवं उसके सभी नेता सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न विशेषणों से विभूषित करने में जुट जाते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक ट्वीट किया कि जब कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर यह आरोप तक लगा दिया कि वे देश को धार्मिक और गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।

वक़्फ़ संशोधन कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके कुछ प्रावधानों पर क्रियानविति रोकने के आदेश के बाद से भाजपा की ट्रोल सेना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने में जुट गई है। कोई इसे "शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया" बता रहा है तो कोई इसे 'सुप्रीम कोठा' तक कह रहा है।

अंत में यही कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ने जो शब्द सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कहे हैं वे उनके पद की मर्यादा के कतई अनुकूल नहीं हैं। उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने आज तक कभी ऐसा मर्यादा हीन बयान नहीं दिया है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान हैं अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कहीं व्यवस्था में ही दोष तो नहीं चपरासी के लिए उच्च डिग्रीधारियों के आवेदन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए उच्च डिग्रीधारियों के बहुतायत में आवेदन से हमारी संपूर्ण व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। आखिर ऐसे हालात क्यों होते जा रहे है। कभी सफाई कर्मचारी के पद के लिए तो कभी चपरासी के पद के लिए उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं का आवेदन करना आम होता ता रहा है। कहने को तो इसके लिए किसी पर भी दोषारोपण आसान हो जाता है पर हालात सामने होने के साथ ही गंभीर चिंता के भी हो जाते हैं।

अब इसका शिक्षा व्यवस्था को ही दोष दिया जाए या बढ़ती बेरोजगारी या फिर सरकारी नौकरी का मोह माना जाये कि राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती के लिए मांगे गये आवेदन में 20 अप्रेल तक 23 लाख 65 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53749 पदों के लिए आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं पास होना है वहीं इस दसवीं पास के पद के लिए आवेदन करने वालों में पीएच. डी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बीटेक और बीएड जैसी योग्यताधारी शामिल है।

इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस, आईपीएस, आरएएस, प्रोफेसर, शिक्षक या प्रदेशों की सिविल सर्विस व अन्य इसी तरह के उच्च पदों की योग्यता को पूरी करने वाले युवक रोजमर्रा की भाषा में कहें तो चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे हैं। यह हालात हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर देती हैं। आखिर हमारी व्यवस्था जा कहां रही है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चयनित नहीं होते हैं तो सवाल यह उठेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी चपरासी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें। वहीं किसी कारण से शिक्षा पूरी नहीं कर सकने वाले युवक दसवीं की परीक्षा ही पास कर सके हैं और चपरासी के पद के लिए योग्य है तो उच्च शिक्षितों, अनुभवियों के सामने उनके लिए तो चयन की संभावना लगभग शून्य ही समझी जानी चाहिए।

यदि समान योग्यता वाले आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होते तो एक अनार सौ बीमार वाली बात तो हो जाती पर फिर सीधा-सीधा यही कहा जाता कि रोजगार के अवसर कम है पर उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं के चपरासी के पद के लिए आवेदन करना हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही।

इससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही दोष है। एक और तो सातवें वेतन आयोग के बाद से युवाओं में सरकारी नौकरी का मोह बढ़ा है। फिर रही -सही कसर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पूरी कर दी है जब चुनावों में मुख्य मुद्दा रोजगार को लेकर उठाया जाता है। चुनावों में रोजगार या यों कहें कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए इससे नकारा नहीं जा सकता है पर केवल सरकारी नौकरी का ही चस्मा दिखाया जाता है तो परिणाम फिर इसी तरह के आते हैं। आजादी के बाद निजी क्षेत्र ने काफी विस्तार किया है।

एक समय ऐसा भी रहा है कि जब युवाओं का क्रेज निजी क्षेत्र के प्रति रहता था। निजी क्षेत्र में वेतन-भत्तों के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं है। आज भी निजी क्षेत्र की अनेकों संस्थाओं में अच्छा पैकेज और सुविधाएं मिलती है। युवाओं को विदेश जाने तक के अवसर मिलते हैं। मेडीक्लेम व अन्य सुविधाएं भी आम है। हां परफोरमेंस और टारगेट की बात अवश्य होती है।

सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं।

उन्हें कहने को तो नाकारा कह दिया जाता है पर वास्तव में इतना कहने भर से उन्हें काम के बोझ की मुक्ति मिल जाती है। यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा एक बार सरकारी नौकरी में प्रवेश हो गया तो कोई कहने वाला तो होगा नहीं, यदि ज्यादा दिक्कत भी आती है तो कहीं से भी सिफारिश कराकर अपना काम चला ही लेंगे। एक बार नौकरी में प्रवेश होने के बाद ओवरएज होने तक प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर अप्रत्यक्ष रुप से लाभ उठाया जा सकता है। इससे दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है एक तो वास्तव में उस योग्यताधारी के सामने नौकरी की समस्या जस की तस रह जाती है जो उस पद की योग्यता ही पूरी कर पाता है, दूसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलने के कारण सहानुभूति में अन्य कार्य ले लिया जाता है जिससे दोहरा नुकसान होता है।

एक तो उस पद के योग्य लोगों को नुकसान होता है तो दूसरा मूल पर का काम तो बाधित ही रहता है क्योंकि जिस पद पर चयन हुआ है वह काम तो करना ही नहीं है। अभी कुछ समय पुरानी ही बातें हैं और लगभग सभी जगह हालात यह है कि नगर निगमों में सफाई कर्मियों की भर्ती में अधिकांश चयनित उच्च शिक्षा प्राप्त होने या उच्च वर्ग से जुड़े होने के कारण चयनित होने के बाद उन्हें सफाई कर्मी का काम तो करना ही नहीं था और किया भी नहीं और उनकी सेवाएं आफिस में क्लर्की के रुप में ली जाने लगी। इससे अधिकांश नगर निकायों की सफाई व्यवस्था तो प्रभावित हुई ही साथ ही असली दावेदार तो बेरोजगार ही रह गए और रोजगार के नाम पर ऐसी भर्तियां हुई जो बोझ बनकर ही रह गई। यह वास्तविकता का एक पक्ष है दूसरा पक्ष तो उच्च योग्यता होने के बाद भी उसके अनुसार नौकरी नहीं मिलना है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए। सवाल यह उठता है कि बीटेक व्यक्ति को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिलता है तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सवाल यह है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र में नए-नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज खोले गये और उनमें शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो केवल डिग्री से क्या होने वाला है।

समस्या इतनी साधारण नहीं है जितनी इसे समझा जा रहा है। यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या नहीं है अपितु कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का ही दोष है। हालात का समग्रता के साथ विश्लेषण करना होगा नहीं तो चपरासी हो या सफाई कर्मी इतने ही नहीं अपितु इनसे भी ज्यादा आवेदन आएंगे और भर्ती भी होगी, नौकरी पर भी आयेंगे, वास्तविक युवाओं के लिए रोजगार समस्या ही बना रहेगा, सरकारी खर्चा तो यों ही होता रहेगा पर जिस उद्देश्य से या जिस काम के लिए पदों को भरा जाना है उसमें हालात नहीं बदलने वाले हैं। फिर यह कहना कि सफाई कर्मी है पर सफाई नहीं हो रही या चपरासी है पर चपरासी के काम करने वालों की कमी है तो हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यह समूची व्यवस्था के सामने चुनौती है और इसका समाधान खोजना ही होगा।

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

घुमंतू जाति के बच्चों के लिये राज्य सरकार "चल विद्यालय" शुरु करेगी

घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब "चल विद्यालय" शुरू करेगी। दरअसल, घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए रहे हैं। रोजगार के लिए घुमंतू परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यही कारण है कि एक जगह पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते और 2 से 3 साल स्कूल जाने के बाद ड्रॉपआउट की श्रेणी में आ जाते हैं।

हालत यह है कि हर साल राज्य में करीब 10 हजार विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं। घुमंतू जाति के इन बच्चों को शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने "चल विद्यालय" खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवासी राजस्थानियों से इन विद्यालयों को खोलने में भामाशाहों का रोल निभाने का आव्हान भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई दौरे पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अब जल्द ही "चल विद्यालय" शुरू किए जाएंगे। इन "चल विद्यालय" के जरिए उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो घुमंतू जाति से हैं। इन विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर घुमंतू जाति के बच्चों को प्रवेश देकर उनके ही स्थान पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि वह शिक्षा से जुड़कर अपना भविष्य बना सके। इस संबंध में अभी कोई गाइड लाइन नहीं आई है। माना जा रहा है कि घुमंतू परिवार जहां होंगे वहां सचल विद्यालय लेकर शिक्षक जाएंगे। उन्हें शिक्षा से लगातार जोड़े रखने के प्रयास किए जाएंगे।

- **हालात यह है कि हर साल राज्य में करीब 10 हजार विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं**
- **शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई दौरे पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की**

गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव के समय में ऐसा ही एक प्रयोग वर्ष 1991 में "चरवाहा विद्यालय" के रूप में किया गया था।

यह विद्यालय गाय-भैंस चराने वाले बच्चों के लिए शुरू किए गए थे। छात्रों के मवेशी स्कूल के मैदान में चरने के लिए छोड़ने की व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन मवेशी चरवाहा विद्यालयों के मैदान में चरते थे तथा छात्र विद्यालय में पढ़ते थे। शिक्षक नेताओं ने बताया कि दो दशक पहले बीकानेर सहित राज्य के अनेक जिलों में घुमंतू जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए चल विद्यालय के तहत बस में कुछ शिक्षक संबंधित क्षेत्र में जाकर उन्हें पढ़ाई करवाते थे। बाद में योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

महंगाई और गर्मी से हज जाने वाले यात्रियों में कमी आई

झुंझुनूं, (निसं)। हज का मुकद्दस सफर एक मई से शुरू होगा, लेकिन करोना के बाद हज जाने वाले यात्रियों में लगातार गिरावट आ रही है। झुंझुनूं ही नहीं, बल्कि राजस्थान और पूरे देश के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। वहीं सोमवार को झुंझुनूं जिले से जाने वाले 37 हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया। मेडिकल जांच के बाद टीके लगाए गए और सभी को मुकद्दस सफर के लिए शुभकामनाएं दी गई।

झुंझुनूं में पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया, जिन्हें किसी लॉटरी का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। झुंझुनूं जिले से 37 मुस्लिमों ने हज के लिए आवेदन किया, जिनका सभी का चयन हो गया। बताया जा रहा है कि हज का महंगा सफर और मक्का मदीना में इस वक्त पड़ने वाली तेज गर्मी के कारण अब हज के मुकद्दस सफर में जाने वाले मुस्लिमों की संख्या कम हो गई है। यह संख्या करोना के बाद लगातार घट रही है। झुंझुनूं के पिछले 10 सालों के आंकड़ों की बात करें तो करोना के बाद जब दुबारा सफर शुरू हुआ था, तब 36 हज यात्री गए थे। इस साल यह संख्या भी 37 के करीब है। पिछले साल जहां 72 हज यात्री गए थे। वो अब कम होकर 37 तक पहुंच गई है। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को हज पर जाने के लिए 5000 से अधिक सीटें दी गई थी, लेकिन 3420 ने ही आवेदन किया। करोना के बाद से हज पर जाने वाले लोगों के लिए लॉटरी नहीं निकालनी पड़ी है। हज यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण महंगाई माना जा रहा है, जो सफर पहले 2 लाख रूपए तक हो जाता था। अब वह पांच लाख रूपए तक हो गया है। साथ ही उमरा वर्षभर चलता है, जो कम समय में हो जाता है। जबकि हज गर्मी के दिनों में होता है। इसके लिए डेढ़ महीने तक रहना भी पड़ता है। इसके चलते भी अब हज जाने वालों में कमी आई है।

झुंझुनूं जिले से जाने वाले हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया।

- **झुंझुनूं से 10 साल में पहली बार 37 ही हज यात्री जाएंगे**
- **पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया**

पैंथर के हमले से तीन मवेशियों की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के लाखौला चौराहा रोड़ पर हुसनूदिन मेवाती के बाड़े में बंदे हुए चार गाय के बछड़ों पर पैंथर ने हमला कर दिया। पैंथर ने तीन गाय के बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक गाय के बछड़ा गंभीर घायल हो गया। वहीं वन विभाग व पशु चिकित्सालय की टीम ने मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया।

जानकारी के अनुसार बाड़े में चार गाय व उनके चार बछड़े बंधे हुए थे। परिवारजन रविवार की शाम को गायों का दूध निकालकर, घास डालकर अपने घर चले गए। सोमवार की सुबह गायों का दूध निकालने परिवारजन पहुंचे तो बाड़े का नजारा देखकर होश उड़ गए। बाड़े में तीन गाय के बछड़े मृत पड़े थे, एक गाय का बछड़ा तड़प रहा था, एक बछड़े को पैंथर पूरा खा चुका था। मौके पर पहुंची वन विभाग व पशु चिकित्सालय की टीम ने मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही क्षेत्र में दशहत का कारण बने पैंथर की तलाश शुरू की है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 22 अप्रैल, 2025

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र दिन 12:44 तक, शुभ योग रात्रि 9:13 तक, तैतिल करण प्रातः 6:36 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:31 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज पंचक रात्रि 12:31 से आरम्भ होंगे।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:13 से 10:49 तक, लाभ अमृत 10:49 से 2:02 तव, शुभ 3:38 से 5:14 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:00, सूर्यास्त 6:50

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मकर
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।